राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों के चयन हेतु निर्धारित मानक

समावेशन मानक

(a) 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

(b) सभी विधवा एवं परित्यक्ता जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हों।

(c) वैसे सभी निःशक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित / सेवानिवृत न हों।

(d) सभी आदिम जनजाति के सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।

(e) कैंसर, एड्स, कुष्ठ एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हों।

(f) सभी भिखारी एवं गृहविहिन व्यक्ति।

उल्लेखित छः (06) समावेशन मानकों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित वर्गों को भी शामिल किया जाता है :–

(क) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाडूकश (Sweeper)।

(ख) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/ राजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker) /रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela Puller)।

(ग) फूटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/ नलसाज (Plumber) /माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler)।

नोटः–समावेशन मानक के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों/परिवारों पर अपवर्जन मानक लागू नहीं होगा।

अपवर्जन मानक

(a) परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियाजित हो, अथवा;

(b) परिवार का कोई सदस्य, आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर देते हैं, अथवा;

(c) परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि हैं, अथवा;

(d) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है, अथवा;

(e) परिवार का कोई सदस्य, सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हैं, अथवा;

(f) वैसे परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वॉशींग मशीन है, अथवा;

(g) वैसे परिवार के पास कमरों में पक्की दिवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरो का मकान है, अथवा;

(h) वैसे परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) हैं।

Scanned with CamScanner